



प्रसार शिक्षा निदेशालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर, राजस्थान-303329

दूरभाष: 01425-254035 (ऑ), 01425-254022 (फैक्स)

क्रमांक: एफ () निविदा/प्र.शि.नि./श्रीकनकृवि/2017/1193

दिनांक: 04.07.2017

अल्पकालीन निविदा सूचना

सभी ढाबा/कैटरिंग व्यावसायियों, हलवाईयों व कैंटीन मालिकों को सूचित किया जाता है कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर में संचालित "कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एवं गुणवत्ता सुधार केन्द्र" परियोजना अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2017-18 (31 मार्च, 2018 तक) में कृषक / कृषक महिलाओं / युवाओं को संस्थागत एवं गैर संस्थागत प्रशिक्षण एवं अन्तर जिला / अन्तर राज्य भ्रमण करवाना है। प्रशिक्षण/भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) में भाग लेने वाले कृषक / कृषक महिलाओं / युवाओं को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन व रात्रि भोजन करवाने हेतु निम्नांकित मैनु के अनुसार कार्य सम्पादित करवाना है। इच्छुक व्यक्ति अपनी न्यूनतम दर सभी कर सहित बन्द लिफाफे में दिनांक 14.07.2017 को 10.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करावें। निविदा उसी दिन 11.30 बजे निविदा कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा के साथ बतौर धरोहर राशि रुपये 1000/- जमा करवानी होगी।

क्र. सं.	विवरण मैनु (नाश्ता एवं भोजन)	अनुमानित प्रशिक्षण/भ्रमण संख्या)	अनुमानित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रति प्रशिक्षण/भ्रमण
कृषक प्रशिक्षण/भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) के समय			
1.	नाश्ता:- चाय, एक पीस मिठाई तथा एक समोसा/कचोरी/ब्रेड पकोडा/पोहा आदि। भोजन दोपहर एवं रात्रि:- एक दाल व एक सीजनल सब्जी, रोटी/पूड़ी, मिठाई (खीर/हलवा/गुलाब जामुन/लड्डू/दाना-बुंदी), कढ़ी, पापड़, सलाद आदि।	20	30 - 50
कृषक / कृषक महिलाओं / युवाओं का प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षणों तथा कार्यक्रमों में			
2.	नाश्ता:- चाय, एक पीस मिठाई तथा एक समोसा/कचोरी/पराठा/ब्रेड पकोडा/पोहा/वेपर्स एवं सांय को चाय व बिस्कुट आदि। भोजन दोपहर एवं रात्रि:- एक दाल व एक सीजनल सब्जी, रोटी/पूड़ी, रायता/दही, अचार, सलाद, पुलाव, चावल, पापड़, मिठाई (खीर/हलवा/गुलाब जामुन) आदि।	05	25 - 30

शर्त:-

1. खाना व नाश्ता उत्तम गुणवत्ता वाला व साफ सुथरा होना चाहिए।
2. सभी तेल, घी, मसाले आदि एगमार्क वाले होने चाहिए।
3. खाना विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर में/भ्रमण के समय साथ रहकर देना होगा।
4. टेन्ट, बर्तन, क्रोकरी व अन्य सामान स्वयं का होगा।
5. नाश्ता, लंच, डीनर की संख्या कम व अधिक की जा सकती है।
6. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने के सारे अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होंगे।
7. मैनु खाने के समय से पूर्व में बता दी जावेगी।
8. बिल का भुगतान बिल पारित होने पर ही किया जावेगा।
9. किसी भी प्रकार की भोजन विषाक्तता आदि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।


निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियन्त्रक महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कोषाधिकारी महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान संयोजक/सदस्य निविदा समिति प्रसार शिक्षा निदेशालय।
4. समस्त सूचना पट्ट/कॉलेज/विश्वविद्यालय/ग्राम पंचायत, जोरपुरा/नगर पालिका, जोबनेर
5. इंचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. मैसर्स


निदेशक